राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

Website www.uniraj.ac.in, Email.acad.2uor@gmail.com

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय / 2024 / 2081-2132 दिनांक : 23/ 01 / 2024

समस्त निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्राचार्य
केन्द्र / विभाग / संघटक महाविद्यालय / लॉ कॉलेज
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः–छात्रवृति पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन के कम में।

महोदय / महोदया

समाज कल्याण विभाग तथा मुख्यमंत्री छात्रवृति विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृति प्रदान की जाती है। जिसके लिए छात्रवृति पोर्टल पर प्रथम स्तर पर विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय / विभाग / केन्द्र / लॉ कॉलेज इत्यादि के द्वारा समाज कल्याण विभाग तथा मुख्यमंत्री पोर्टल पर उनकी रजिस्टर्ड SSO ID पर ऑनलाइन कोर्स मेपिंग तथा कोर्स रिक्वेस्ट अपडेट कर उनसे सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय के छात्रवृति पोर्टल पर संघटक महाविद्यालय / विभाग / केन्द्र / लॉ कॉलेज इत्यादि का नाम प्रदर्शित होता है। (जिसका संचालन शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय के सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा किया जाता है) तब उनका ऑनलाइन सत्यापन करने के बाद ही छात्रवृति पोर्टल पर उनका नाम जुडता है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आपकी रजिस्टर्ड SSO ID पर आपके द्वारा दोनो छात्रवृति पोर्टल पर अलग–अलग ऑनलाइन कोर्स मेपिंग तथा कोर्स रिक्वेस्ट अपडेट कर उनसे सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड करने के उपरान्त ही कार्यालय शैक्षणिक अनुभाग के द्वारा छात्रवृति पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा। उसके पश्चात ही आपके संघटक महाविद्यालय / विभाग / केन्द्र / लॉ कॉलेज इत्यादि का नाम समाज कल्याण तथा मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्रदर्शित हो सकेगा। तदनुरूप छात्रवृति पोर्टल से जुडी ऑनलाइन कार्यवाही करने का श्रम करें।

भवदीय,

(कालू राम)
कुलसचिव

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय / 2024 / 2133 दिनांक : 23/ 01 / 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीय कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

(डॉ. कुलदीप मिश्रा)
उप–कुलसचिव (शैक्षणिक–2)